

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ,

स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक रापक/भण्डार/2021-22/509

दिनांक 12-10-21

सीमित बोली सूचना सं.....०!./2021-22

कार्यालय निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिये कम्प्यूटर विद ऑपरेटर (मशीन विद मैन) किराये पर प्राप्त करने हेतु प्राधिकृत व्यवहारियों/प्राधिकृत सेवा प्रादाताओं/सद्भाविक व्यवहारियों से दर संविदा हेतु बोलियाँ आमंत्रित की जाती है।

सीमित बोली का विवरण निम्न प्रकार है:-

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | कार्यालय का नाम   | निदेशक (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर  |
| 2 | अनुमानित राशि   | 1.50 लाख रूपये   |
| 3 | बिड आवेदन प्राप्त करने/डाउनलोड की अंतिम तिथि, समय व स्थान | इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र <a href="http://sppp.rajasthan.gov.in">sppp.rajasthan.gov.in</a> अथवा <a href="http://rajswasthya.nic.in">http://rajswasthya.nic.in</a> से डाउनलोड अथवा केशियर कमरा नम्बर 236 लेखाशाखा निदेशालय परिवार कल्याण जयपुर से (कार्यालय समय में) दिनांक 20.10.2021 को सुबह 10.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं। |
| 4 | इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र                    | इच्छुक बोलीदाता निर्धारित बोली प्रपत्र स्टोर कीपर को कमरा नम्बर 222 निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर में दिनांक 20.10.2021 प्रातः 11.30 बजे तक जमा करा सकते हैं।   |
| 5 | तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय                           | दिनांक 20.10.2021 दोपहर 3.00 बजे।  |
| 6 | तकनीकी बोली खोलने का स्थान                                | कमरा नम्बर 228 निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जयपुर  |

1. बोलीदाताओं को अपना प्रस्ताव नियम अंतिम तिथि/समय तक निर्धारित प्रपत्र में मय अन्य दस्तावेजों के कार्यालय के कमरा नम्बर 222 में सील बंद लिफाफों में (तकनीकी बिड एवं वित्तीय बिड पृथक-पृथक लिफाफों में एक साथ) रखकर जमा कराने होंगे।
2. निर्धारित समय तक प्राप्त बोलियों को दिनांक 20.10.2021 को दोपहर 3.00 बजे निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी। वित्तीय बिड निर्धारित BOQ में भरी जानी है। तकनीकी रूप से सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जाएगी, जिसके लिये अलग से सूचित किया जाएगा।
3. आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 व आर.टी.पी.पी 2013 के समस्त प्रावधान एवं समय-समय पर जारी अन्य आदेश/परिपत्र/संशोधन इस बोली आमंत्रण पर लागू होंगे। इस डॉक्यूमेंट व उक्त अधिनियम /नियम के प्रावधानों में विरोधाभास होने पर अधिनियम/नियम के प्रावधान प्रावी माने जायेंगे।
4. उक्त बोली आमंत्रण सूचना व बोली प्रपत्र का पोर्टल [www.sppp.rajasthan.gov.in](http://www.sppp.rajasthan.gov.in) एवं <http://rajswasthya.nic.in> पर भी अवलोकन/अपलोड किया जा सकता है।




अति० निदेशक (प.क.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक रापक/भण्डार/2021-22/509

दिनांक 12.10.21

प्रतिलिपि:-

1. प्रभारी अधिकारी सर्वर रूम को प्रेषित कर लेख है कि इस बोली प्रपत्र को SPPP पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
2. भण्डारपाल (प.क.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर को निदेशालय (प.क.) एवं अधीनस्थ कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
3. मैसर्स G.S. GOYANKA, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मैसर्स Digital Welfare जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मैसर्स Shree Shyam Goverdhan जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।



अति० निदेशक (प.क.)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर